विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या–1601/XII(1)1/21–86(16)/2019–TC दिनांक 18 नवम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या–488(1)/XII(1)1/22–86(16)/2019–TC दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा संसूचित कार्यक्रम के क्रम में जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु आरक्षण कार्यालय विज्ञप्ति संख्या–453 दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा किया गया था।

उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों में अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं पर पारित निर्णयों के आलोक में राज्य स्तर पर गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम प्रतिवेदन में आयोग द्वारा जनपद हरिद्वार में वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन हेतु वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर **अन्य पिछडा वर्ग के लिए** खण्डवार प्रधान पदों, जनपद में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद तथा कतिपय ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य के आरक्षण की संख्या की संस्तुति की गई है। आयोग द्वारा जनपद स्तर पर क्षेत्र पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अन्य पिछडा वर्ग के संबंध में आरक्षण को यथावत रखे जाने की संस्तुति की गयी है।

उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश संख्या–637(1)/XII(1)/22–86(16)/2019–T.C दिनांक 16 अगस्त, 2022 व शासनादेश संख्या–638/XII(1)/22–86(16)/2019–T.C दिनांक 18 अगस्त, 2022, उत्तराखण्ड के स्थानीय निकायवार अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण हेतु गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों व निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 972/80-IX-PN/2022–23 दिनॉक 18.08.2022 के अनुरूप इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या–453 दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा अन्य पिछडा वर्ग हेतु खण्डवार प्रधान पदों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद तथा कतिपय ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य हेतु अन्य पिछडा वर्ग के किए गए आरक्षण में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण की संस्तुतियों की सीमा तक संशोधित करते हुए उक्तानुसार पूर्व में अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण में आंशिक संशोधन करते हुए अनन्तिम सूची प्रकाशित की जाती है।

इस प्रकार इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या 453 दिनॉक 13 जुलाई, 2022 द्वारा **अन्य पिछडा वर्ग हेतु** उक्त पदो एवं स्थानों के आरक्षण में आंशिक संशोधन करते हुए अनन्तिम प्रकाशन किया जा रहा है, इस अन्य पिछडा वर्ग के सापेक्ष किए गए अनन्तिम संशोधन प्रस्ताव पर ही किसी भी हितवद्व व्यक्ति द्वारा आपत्तियॉ दिनॉक 21 अगस्त एवं 22 अगस्त 2022 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक संबधित विकास खण्ड कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय **(ERK अनुभाग)** में लिखित रूप से की जा सकती है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के आरक्षण पर आपत्तियां स्वीकार नही की जायेगी। प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनॉक 23.08.2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से विकास भवन सभागार, हरिद्वार में कार्य समाप्ति तक कार्यालय समय में की जाएगी।

अतः मैं विनय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी हरिद्वार, जनपद हरिद्वार के संलग्न सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत के **अन्य पिछडा वर्ग हेतु** स्थानों और पदों के आरक्षण में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण की संस्तुतियों सीमा तक संशोधन कर उक्त पद व स्थान के संशोधित आरक्षण की अनन्तिम सूची निर्धारित प्रारूप पर जनसाधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित करता हूँ।

1. ग्राम पंचायत प्रधान आरक्षण सूची
2. ग्राम पंचायत सदस्य आरक्षण सूची
3. क्षेत्र पंचायत प्रमुख आरक्षण सूची

संलग्न–यथोपरि।

20/08/22

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

GP RESERVATION 21

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

पत्रांक 612/पं0–7/त्रि0पं0नि0/आरक्षण/2022–23 दिनांक 20 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि–

1– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत के पदो और स्थानों का अनन्तिम आरक्षण सूची सम्बन्धित ग्राम पंचायत व विकास खण्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करे।

2– समस्त तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार को उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने स्तर से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

3– जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी हरिद्वार को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– जिला सूचना अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ की विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में जनसाधारण के सूचनार्थ निःशुल्क जनहित में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करे।

5– प्रभारी अधिकारी, कलक्ट्रेट को इस निर्देश के साथ कि कार्यालय में प्राप्त समस्त आपत्तियां निर्धारित तिथि में प्रत्येक दिवस की सांय 5.00 बजे जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।

7– निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड़, देहरादून।

8– सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

20/08/22

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।